पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
आपराधिक अपील (ए.पी.) संख्या 3140/2017
में
आपराधिक अपील (ख.पी.) संख्या 1076/2017

थाना कांड संख्या-47 वर्ष-2007 थाना- मोहिउद्दीन नगर जिला-समस्तीपुर से उत्पन्न

==========

सुशील कुमार उर्फ सुशील कुमार साह उर्फ पिंटू साह पुत्र- स्वर्गीय राजेंद्र साह निवासी- ग्राम एवं डाकघर - मोहद्दीनगर, थाना - मोहद्दी नगर, जिला-समस्तीपुर

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्री अमित नारायण, अधिवक्ता
श्री अभिज्ञान कुमार, अधिवक्ता
श्री अश्विनी कुमार, अधिवक्ता
सुश्री शिखा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, एपीपी

==========

अधिनियम/धारा/नियम:

- *भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 304बी*
- *सीआरपीसी की धारा 313*

संदर्भित मामले:

- *राम सिंह बनाम. यूपी राज्य 2024 की आपराधिक अपील संख्या 206 में*
- *रामाशीष महतो बनाम. 2015 की आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 284 में बिहार राज्य*

- *राजेश रविदास बनाम. 2018 की आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1075 में बिहार राज्य*

अपील - दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ दायर अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 498 ए और 304 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।

माना गया - यद्यपि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के घर में मृतक की अप्राकृतिक मृत्यु को साबित करने में सफल रहा, लेकिन यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक की मृत्यु अपीलकर्ता द्वारा की गई किसी क्रूरता का परिणाम था - एफएसएल रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है और यदि निष्कर्ष एफएसएल रिपोर्ट में दी गई जानकारी को सच माना जाता है, फिर भी अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा मृतक को ज़बरदस्ती जहर देने को दिखाने के लिए कोई भी सामग्री साबित करने में विफल रहा। - एफआईआर विश्वसनीय नहीं लगती क्योंकि मृतक की जांच रिपोर्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले तैयार की गई थी, उसमें एफआईआर नंबर का विवरण शामिल है और अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त परिस्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। (पैरा 16)

अपील की अनुमति है (पैरा 16)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह

मौखिक निर्णय

दिनांक : 18-04-2024

श्री अमित नारायण, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, राज्य के विद्वान एपीपी हैं उपस्थित हैं और इस अपील के गुण-दोष के आधार पर उनकी सुनवाई की जा रही है।

2. यह तात्कालिक अपील सत्र परीक्षण वाद संख्या 106/2009 में विद्वान पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय, समस्तीपुर द्वारा पारित दिनांक 31.07.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 04.08.2017 के सजा के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 498 ए तथा 304 बी के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है तथा उसे धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त छह माह के साधारण कारावास तथा धारा 304 बी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विद्वान विचारण न्यायालय ने कारावास की सभी सजाएँ एक साथ चलाने का निर्देश दिया है।

3. अपीलकर्ता और दो सह-आरोपी अनिल कुमार साह और जोगमाया देवी पर निम्नलिखित अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे । भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 498 ए और 304 बी को पढ़ा जाए तो वे आरोपी अनिल कुमार साह और जोगमाया को एक साथ मुकदमे का सामना करना पड़ा जोगमाया देवी को निचली अदालत ने आरोपित अपराधों से बरी कर दिया।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का सार यह है कि सूचक की बहन अंजू कुमारी की शादी अपीलकर्ता से 02.06.2006 को हुई थी और उनकी शादी से पहले ही अंजू कुमारी (जिसे आगे पीड़िता कहा जाएगा) और अपीलकर्ता के नाम से डाकघर में 50,000/- रुपए की राशि जमा कर दी गई थी। शादी के बाद अपीलकर्ता और उसकी मां ने मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उस पर उक्त 50,000/- रुपए वापस लेने का दबाव बनाया । अपीलकर्ता ने पीड़िता पर दबाव बनाया कि वह अपने भाई से मोटरसाइकिल की मांग करे, क्योंकि उसे (अपीलकर्ता को) मार्केटिंग के अपने व्यवसाय में परेशानी आ रही थी तथा जब पीड़िता के परिवार ने अपीलकर्ता की मांग पूरी करने में असमर्थता दिखाई, तो अपीलकर्ता तथा उसके परिवार के सदस्यों ने पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तथा इस संबंध में पीड़िता द्वारा अपने भाई (सूचनाकर्ता) से कई शिकायतें की गईं तथा अंततः 09.04.2007 को एक अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल फोन के माध्यम से सूचनाकर्ता को सूचित किया कि पीड़िता की मृत्यु हो गई है। सूचनाकर्ता को संदेह था कि अपीलकर्ता, उसकी मां, भाई तथा प्रहलाद कुमार नामक व्यक्ति ने उसकी बहन (पीड़िता) को जहर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 08.04.2007 को रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित नारायण ने तर्क दिया कि एक ही साक्ष्य के आधार पर दो सह-आरोपियों को विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया जबकि अपीलकर्ता को दोषी करार दिया गया तथा अभियोजन पक्ष यह आरोप साबित करने में विफल रहा कि मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पहले किसी भी प्रकार की क्रूरता या यातना दी गई थी तथा अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता को जबरदस्ती जहर देने के आरोप को भी साबित करने में विफल रहा तथा अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से सामने आने वाली सभी भौतिक परिस्थितियाँ जो अपीलकर्ता के विरुद्ध हैं, अपीलकर्ता को स्पष्ट नहीं की गईं,

इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 313 के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया। आगे यह तर्क दिया गया कि प्राथमिकी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह पुरानी है तथा इस संबंध में जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया जा सकता है।

6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एपीपी श्रीमती अनीता कुमारी सिंह ने तर्क दिया कि मृतका जो अपीलकर्ता की पत्नी थी, की शादी के एक वर्ष के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु हो गई थी और मृतका के विसरा की एफएसएल रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतका की मृत्यु जहरीले पदार्थ के कारण हुई थी और अभियोजन पक्ष के भौतिक गवाहों ने मृतका के साथ क्रूरता के आरोप का समर्थन किया था, जो अपीलकर्ता और अन्य द्वारा 50,000 रुपये की मांग के लिए की जा रही थी।

7. दोनों पक्षों को सुना, विवादित निर्णय का अवलोकन किया और विचारण न्यायालय के केस रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा अपीलकर्ता के बयान पर भी गौर किया।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित नारायण ने प्रथम तर्क यह उठाया है कि अपीलकर्ता और उसके दो रिश्तेदारों पर एक ही अपराध के लिए एक साथ आरोप लगाए गए और उन पर मुकदमा चलाया गया तथा एक ही साक्ष्य के आधार पर सह-आरोपी अनिल कुमार साह और जोगमाया देवी को बरी कर दिया गया जबकि अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया जो कानून के स्थापित सिद्धांत के विरुद्ध है। इस तर्क के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में पारित **आपराधिक अपील संख्या 206/2024** के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसका निर्णय 21.02.2024 को हुआ था तथा इस निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"32. जावेद शौकत अली कुरैशी के मामले में इस न्यायालय ने माना है कि जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध प्रत्यक्षदर्शियों के समान या एक जैसे साक्ष्य हों, तो उन्हें समान या समान भूमिका बताते हुए न्यायालय एक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकता और दूसरे को बरी नहीं कर सकता। इस न्यायालय ने इस प्रकार स्पष्ट किया:-

15. जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य समान या एक जैसे हों, तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकता और दूसरे को दोषमुक्त नहीं कर सकता। ऐसे मामले में, दोनों अभियुक्तों के मामले समानता के सिद्धांत द्वारा शासित होंगे। इस सिद्धांत का अर्थ है कि आपराधिक न्यायालय को समान मामलों में समान रूप से निर्णय लेना चाहिए और ऐसे मामलों में न्यायालय दो अभियुक्तों के बीच अंतर नहीं कर सकता, जो भेदभाव के बराबर होगा ।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त उद्धृत निर्णय में की गई उपरोक्त टिप्पणी के मद्देनजर, यह न्यायालय अपीलकर्ता के अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में तथ्य पाता है क्योंकि उसी साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता की मां को बरी कर दिया गया था, लेकिन अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था और सह-अभियुक्तों को बरी करते समय, विद्वान विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखा कि अपीलकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त अलग-अलग रह रहे थे, लेकिन इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी साक्ष्य की चर्चा नहीं की गई और इसके अलावा, इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने कथित घटना के प्रासंगिक समय पर अपीलकर्ता के अपने परिवार के सदस्यों से अलग रहने को साबित करने के लिए जांच अधिकारी को छोड़कर अभियोजन पक्ष

के गवाहों के बयानों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया है और केवल जांच अधिकारी का साक्ष्य उक्त तथ्य को साबित करने के लिए विश्वसनीय नहीं लगता है।

10. अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दूसरा तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़िता को उसकी मृत्यु से ठीक पहले अपीलकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार की क्रूरता या यातना दी गई थी और अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता को जहर देने के आरोप को भी साबित करने में विफल रहा क्योंकि घटनास्थल का निरीक्षण करने वाले जांच अधिकारी सहित अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को पीड़िता को जहर देने का कोई संकेत नहीं मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतक (पीड़िता) को किसी भी प्रकार की बाहरी या आंतरिक चोट नहीं दिखाई गई है जो पीड़िता को जबरदस्ती जहर देने के आरोप को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त है और इस संबंध में जांच अधिकारी का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि संबंधित डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया था, मृतक की मृत्यु का कारण पता लगाने में असमर्थ था, इसलिए उसने मृतक का विसरा सुरक्षित रख लिया और उसे फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला (एफएसएल) में भेज दिया और एफएसएल रिपोर्ट (एक्सटेंशन 6) में यह कहा गया कि ***'कांच के जार में मौजूद गहरे भूरे रंग के तरल पदार्थ में एल्युमिनियम फॉस्फाइड पाया गया था'*** लेकिन एफएसएल रिपोर्ट में दी गई उक्त खोज पूरी तरह से अविश्वसनीय है क्योंकि पहली बात तो यह कि पार्सल में विसरा एक जार में था और यह विसरा सुरक्षित रखने के दो महीने से अधिक समय बाद 20.09.2007 को एफएसएल विभाग को प्राप्त हुआ था और दूसरी बात यह कि जब विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई तो कांच के जार में विसरा के ऊतक विघटित अवस्था में पाए गए और तीसरी बात यह कि एफएसएल रिपोर्ट एफएसएल में विसरा प्राप्त होने के कई वर्षों बाद 29.08.2012 को तैयार की गई थी। इन दलीलों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के **माननीय खंडपीठ** द्वारा **रामाशीष महतो बनाम बिहार राज्य** के **आपराधिक**

अपील (खं.पी.) संख्या 284/2015 के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया है और प्रासंगिक पैराग्राफ जिन पर भरोसा किया गया है, उन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"61. अब हम इस बात की जांच करते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष यह साबित कर पाया है कि मृतक की मौत अप्राकृतिक थी। हमने देखा है कि मृतक के संबंध में जहर से संबंधित कोई सबूत नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मदनपुर में मृतक का इलाज करने वाले डॉक्टर से मुकदमे के दौरान पूछताछ नहीं की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मदनपुर में मृतक को दिए गए इलाज से संबंधित कोई भी कागज अभियोजन पक्ष रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीड़िता का इलाज करने वाला डॉक्टर सबसे अच्छा व्यक्ति था, जो उसकी मौत के कारण और जिस बीमारी से वह पीड़ित थी, उस पर कुछ प्रकाश डाल सकता था। इतना ही नहीं, मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के सदस्य और डॉक्टर पी.डब्लू.5 ने अपने साक्ष्य में कहा कि उन्हें मृतक के शरीर पर कोई भी पूर्व-मृत्यु चोट या हिंसा का निशान नहीं दिखाई दिया। किसी भी तरह के ज़हर का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती ज़हर दिए जाने की स्थिति में, पीड़िता की ओर से संघर्ष और प्रतिरोध होगा और उसके शरीर पर कुछ निशान होंगे। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हिंसा का कोई निशान नहीं था।

62. जहां तक मृतक के मुंह और नाक से झाग और दुर्गंध आने का सवाल है, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सही कहा है कि प्राथमिकी या जांच रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।"

11. इस न्यायालय को अपीलकर्ता के अधिवक्ता की उपरोक्त दलील में दम नज़र आता है क्योंकि जांच अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था जहाँ पीड़िता का शव

मिला था और अभियोजन पक्ष के किसी भी अन्य गवाह ने मृतक के शरीर पर या घटनास्थल पर उसके शरीर के पास जहर के निशान होने के बारे में कुछ नहीं कहा। मृतक के शव पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा दिए गए निष्कर्षों के साथ-साथ जांच रिपोर्ट (एक्सटेंशन-4) की सामग्री भी पीड़िता को कोई जबरदस्ती जहर देने का संकेत नहीं देती है। यहाँ, यह उल्लेख करना उचित है कि अपीलकर्ता द्वारा लिए गए बचाव के अनुसार, पीड़िता किसी बीमारी से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। अभियोजन पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण गवाहों ने स्वीकार किया कि मृतक के शव के पास *सलाइन घोल की बोतल* पाई गई थी और इस संबंध में अपीलकर्ता द्वारा बचाव में कुछ गवाह भी पेश किए गए थे और उनमें से डी.डब्लू.-1, डी.डब्लू.-2 और डी.डब्लू.-3 के नाम अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में आरोप पत्र में शामिल हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया और न ही उनसे पूछताछ की गई और अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए कोई विवरण देने में विफल रहा कि उक्त गवाहों को अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान छोड़ दिया था। एफएसएल रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य यह सुझाव नहीं देते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा पीड़ित को जबरदस्ती जहर दिया गया था और मृतक के विसरा की जांच के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट में दी गई खोज भी अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा ऊपर चर्चा की गई परिस्थितियों के मद्देनजर विश्वसनीय नहीं है। तदनुसार, अभियोजन पक्ष यह आरोप साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी को जहर दिया और उसकी दहेज के लिए हत्या की तथा मृतका के शरीर पर किसी भी प्रकार की बाह्य या आंतरिक चोट के अभाव के कारण, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि पीड़िता को उसकी मृत्यु से ठीक पहले किसी भी प्रकार की क्रूरता या यातना नहीं दी गई थी, इसलिए वर्तमान मामले में आईपीसी की धारा 304 बी के मुख्य तत्वों में से एक की कमी है, तदनुसार, इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा उपर्युक्त निर्णय में निर्धारित

सिद्धांतों के प्रकाश में, यह न्यायालय अपीलकर्ता के अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में सार पाता है।

12. अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तीसरा तर्क यह है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 313 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया अपीलकर्ता का बयान उचित नहीं था क्योंकि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से सामने आने वाली सभी भौतिक परिस्थितियाँ और साक्ष्य, जिन पर विचारण न्यायालय ने भरोसा किया था, अपीलकर्ता को नहीं समझाए गए थे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांत के खिलाफ है। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **राजेश रविदास बनाम बिहार राज्य** के मामले में **आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 1075/2018** में **माननीय खंडपीठ** द्वारा पारित इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है और जिस प्रासंगिक पैराग्राफ पर भरोसा किया गया है, उसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

> *"22. इसके अलावा, हमने ऊपर वह प्रश्न उद्धृत किया है जो सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ताओं की जांच करते समय विचारण न्यायालय द्वारा पूछा गया था। यह सही रूप से इंगित किया गया है कि विचारण न्यायालय ने फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (प्रदर्श-5) की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। कोर्ट पर यह दायित्व था कि वह फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के निष्कर्षों के बिंदु पर अपीलकर्ताओं से सवाल करता। ऐसा न किए जाने पर, ट्रायल कोर्ट को एफएसएल की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह माना गया है कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत जांच किए जाने के दौरान किसी अभियुक्त को स्पष्ट न की गई परिस्थिति का उपयोग उसके दोषसिद्धि के निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए नहीं किया जा सकता है।"*

13. इस न्यायालय को उपरोक्त तर्क में तथ्यात्मकता प्रतीत होती है क्योंकि कई भौतिक परिस्थितियाँ और साक्ष्य जैसे कि एफएसएल विभाग द्वारा एफएसएल रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्ष और जांच रिपोर्ट की सामग्री आदि को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता के समक्ष नहीं रखा गया और न ही समझाया गया और अपीलकर्ता का बयान विचारण न्यायालय द्वारा यांत्रिक तरीके से दर्ज किया गया जो उचित नहीं था और सीआरपीसी की धारा 313 की भावना के विरुद्ध था। तदनुसार, इस न्यायालय को अपीलकर्ता के अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में तथ्यात्मकता प्रतीत होती है और इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांत अपीलकर्ता के अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क के लिए सहायक है।

14. अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिया गया चौथा तर्क यह है कि इस मामले की प्राथमिकी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह पुरानी है और इस संबंध में जांच रिपोर्ट (प्रदर्श -4) का अवलोकन किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि औपचारिक प्राथमिकी से पता चलता है कि प्राथमिकी 09.04.2007 को सुबह 11:00 बजे प्राप्त हुई थी और जांच रिपोर्ट (प्रदर्श-4) से पता चलता है कि उक्त रिपोर्ट 09.04.2007 को सुबह 9:30 बजे तैयार की गई थी, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जांच रिपोर्ट औपचारिक प्राथमिकी के पंजीकरण से पहले तैयार की गई थी, इसलिए माननीय न्यायालयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के प्रकाश में, इस मामले की प्राथमिकी विश्वसनीय नहीं है और यह अभियोजन पक्ष के आरोप पर गंभीर संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इस तर्क के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ** द्वारा **रामाशीष महतो बनाम बिहार राज्य (उपर्युक्त)** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया है तथा उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ, जिन पर भरोसा किया गया है, निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

"58. मामले को ध्यान में रखते हुए, जब हमने साक्ष्य की आगे जांच की, तो हमने पाया कि सूचक का मौखिक बयान 09.07.2010 को 08:00 बजे प्राथमिक

स्वास्थ्य केंद्र, मदनपुर में दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी। हालांकि, जब हम जांच रिपोर्ट देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जांच रिपोर्ट 09.07.2010 को 07:00 बजे तैयार की गई थी, यानी फर्दबयान दर्ज होने से एक घंटे पहले। हम आगे पाते हैं कि जांच रिपोर्ट में सूचक बैज नाथ महतो और पी.डब्लू.3 रविंद्र महतो के हस्ताक्षर हैं।

59. जाहिर है, जांच रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी एफआईआर की स्थापना से पहले । इसके बाद, मौखिक तौर पर बैजनाथ महतो का बयान दर्ज किया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मदनपुर, दिनांक 09.07.2010 को रात्रि 08:00 बजे, जिसे एफआईआर माना गया। साक्ष्यों में विसंगति जांच अधिकारी, फर्दबयान और पूछताछ की रिपोर्ट आगे एफआईआर की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के बारे में संदेह पैदा करती है ।

60. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सही कहा है कि प्राथमिकी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, खासकर इसलिए क्योंकि प्रारंभिक विवरण को अदालत से दबा दिया गया है।

15. इस न्यायालय को उपरोक्त तर्क में तथ्य नजर आता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि प्राथमिकी जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद दर्ज की गई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जांच रिपोर्ट में औपचारिक प्राथमिकी की संख्या अंकित है, जबकि इसे औपचारिक प्राथमिकी तैयार होने से पहले ही तैयार कर लिया गया था और उक्त परिस्थिति प्राथमिकी की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करती है।

16. दोनों पक्षों को सुनने के बाद और ऊपर बताए गए कारणों से केस रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय को अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा

उठाए गए तर्कों में दम नज़र आता है। हालाँकि अभियोजन पक्ष मृतक की अप्राकृतिक मृत्यु को अपीलकर्ता के घर में साबित करने में सफल रहा, लेकिन यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक की मृत्यु अपीलकर्ता द्वारा की गई किसी क्रूरता का परिणाम थी और एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श-6) ऊपर चर्चा की गई परिस्थितियों के मद्देनजर विश्वसनीय नहीं है और यदि एफएसएल रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्ष को सही माना जाता है, तब भी अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक को अपीलकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा जबरदस्ती जहर दिया गया था और इसके अलावा, प्राथमिकी विश्वसनीय नहीं लगती है क्योंकि मृतक की जांच रिपोर्ट, जिसे प्राथमिकी दर्ज होने से पहले तैयार किया गया बताया गया है, उस पर प्राथमिकी नंबर का विवरण है और अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त परिस्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। तदनुसार, यह न्यायालय यह राय बनाता है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को विचारण न्यायालय द्वारा ठीक से नहीं समझा गया था । परिणामस्वरूप, आरोपित अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा सुनाने संबंधी निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है तथा तत्काल अपील स्वीकार की जाती है।

17. अपीलकर्ता जेल में है, इसलिए उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

18. निर्णय की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विचारण न्यायालय और जेल अधीक्षक को भेजी जाए।

19. विचारण न्यायालय का रिकॉर्ड संबंधित कोर्ट को भेजा जाए।

(शैलेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मयनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।